

इकाई के पुनःअवस्थापना के मामलों में
आवेदक द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की सूची—

1. इकाई का जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र। यदि जी0एस0टी0 नहीं है तो आवेदक/साझेदारों के शपथ पत्र
2. इकाई का लाइसेंस, समस्त पृष्ठ
3. वर्तमान लाइसेंसधारक का फोटो आई0डी0
4. आवेदक/समस्त साझेदारों के डिजिटल फोटो
5. प्रस्तावित पुनःअवस्थापना स्थल के सम्बन्ध में आवेदक/समस्त साझेदारों के शपथ पत्र जिसमें भूमि के प्रकार (निजी भूमि/किराये की भूमि/लीज/अन्य) के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण अंकित हो तथा स्पष्ट उल्लेख हो कि प्रश्नगत इकाई किस गाटा नम्बर/प्लाट नम्बर, ग्राम/कस्बा, तहसील, थाना, जिला में पुनःस्थापित किया जाना है तथा यह लिखित हो कि पुनःअवस्थापना वाले स्थल पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
6. प्रस्तावित पुनःअवस्थापना स्थल के म्युनिसिपल एरिया में स्थित होने के मामलों में सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र/अभिलेख
7. प्रस्तावित पुनःअवस्थापना स्थल के औद्योगिक एरिया में स्थित होने के मामलों में सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र/अभिलेख
8. पुनःअवस्थापना स्थल का नजरी नक्शा
9. विनियर/प्लाईबुड के मामलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिये गये आवेदन की प्राप्ति रसीद एवं आवेदक का शपथ पत्र जिसमें यह स्पष्ट अंकित हो कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र इकाई संचालन के पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
10. आवेदक/समस्त साझेदारों के अथवा परिवार के सदस्यों के विरुद्ध वन अपराध का केस लम्बित नहीं होने के सम्बन्ध में आवेदक/समस्त साझेदारों के शपथ पत्र
11. फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन का अभिलेख